भारत सरकार

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2536

दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 के लिए प्रश्न

विषय : पशुचिकित्सा परिचर्या

2536 : श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या कृषि और कृषक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अगुणावत्तापरक पशुचिकित्सा परिचर्या से लोगों के पशुओं से होने वाले रोगों से संक्रमित होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे का संज्ञान लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ संजीव कुमार बालियान)

(क) और (ख) सरकार यह जानती है कि कुछ पशु रोग, जो जूनोटिक बीमारियों के नाम से जाने जाते हैं, पशुओं और मनुष्यों के बीच अंतरित होते हैं। इस वर्ग के कुछ प्रमुख रोग हैं ब्रूसेलोसिस, तपेदिक, एंथ्रेक्स, लेप्टोसिरोसिस, साल्मोनेलोसिस, कैम्पीलोबैक्टीरियोसिस, लिस्टेरिओसिस, रेबीज, जापानी एंसिफेलाइटिस, एवियन इंफ्लुएंजा, हाइड्रोटिडोसिस, सिसटेसेरकोसिस, टॉक्सोपलामोसिस, क्रप्टोस्पोरिडिओसिस, रिकेटिसिअल संक्रमण जिसमें स्क्रब टाइफस इत्यादि शामिल हैं।

जूनोटिक रोगों सहित पशु रोगों का निवारण, नियंत्रण और रोकथाम राज्य सरकारों द्वारा 11,101 पशुचिकित्सा अस्पतालों/पॉलीक्लीनिकों, 22,745 पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियों तथा 27,050 पशुचिकित्सा सहायता केंद्रों/स्टॉकमैन केंद्रों तथा सचल डिस्पेंसरियों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) जूनोटिक बीमारियों सहित पशुरोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राज्य सरकारों की गतिविधियों को अनुपूरित करने के लिए केंद्र सरकार पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना, जो अब पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य (वीएस और एएच) में नामित हो चुकी है, के विभिन्न घटकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के अंतर्गत, किसानों को जूनोटिक सहित विभिन्न पशु रोगों के बारे में तथा उपयुक्त जैव-सुरक्षा उपायों को अपनाने के बारे में किसानों/पशु स्वामियों को जागरुक बनाने के लिए सूचना शिक्षा तथा संचार अभियान के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, राज्य सरकारों को जूनोटिक बीमारियों सहित पशुओं की विभिन्न बीमारियों के लिए आवश्यक निवारण, नियंत्रण तथा रोकथाम उपाय प्रारंभ करने के लिए परामर्शियां भी जारी करता है।

जूनोटिक बीमारियों सहित विदेशी बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए विभाग ने छह पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवाएं भी स्थापित की हैं। राज्यों तथा पशुचिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के पास नैदानिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। रेफरल निदान प्रदान करने के लिए विभाग ने 5 क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं (आरडीडीएल) तथा 1 केंद्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला(सीडीडीएल) को विनिर्दिष्ट किया है। विभाग ने 4 प्री-फैब्रिकेटिडजैव-सुरक्षा स्तर III (बीएसएल-III) प्रयोगशालाएं (कोलकाता, जालंधर, बरेली तथा बंगलौर, प्रत्येक जगह पर एक-एक) भी स्थापित की हैं और एक सचल बीएसएल-III प्रयोगशाला गुवाहाटी, असम में भी कार्य कर रही है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) भी प्रकोप के जांच पड़ताल तथ जूनोटिक बीमारियों की निगरानी के लिए प्रयोगशाला सहायता प्रदान करता है। जूनोटिक बीमारियों के विभिन्न आयामों जैसे निदान, उपचार, निवारण तथा नियंत्रण में प्रशिक्षित पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और विभिन्न जूनोटिक बीमारियों के निवारण और नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं और व्यापक रूप से वितरित किए गए हैं।

*****